न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 14 / 21 / अजमेर (2021 / 00014)

विभागीय अपील द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर आदेश क्रमांक उखअ / संस्था / सीसीए17 / 2020 / 02 दिनांक 28–01–2020 जिसके द्वारा अपचारी भू.अ.निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 28–01–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन क्रमाक 860 दिनांक 15–02–2019 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–1

आप भू.अभिलेख निरीक्षक, अजमेर द्वितीय के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा ग्राम दौराई की नामान्तरकरण जिल्द जिसमें नामान्तरकरण संख्या 278 से 300 तक दर्ज को रास्ते में कहीं गुम हो जाने एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में प्राप्त होना अवगत कराया है। आप द्वारा उक्त घटना की सूचना दिनांक 17–9–2018 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी किन्तु उक्त घटना किस दिनांक एवं समय को घटित हुई, का उल्लेख नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा कार्यालय में सूचना विलम्ब से प्रस्तुत की गई, आप स्वयं के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि नामान्तरकरण जिल्द गुम होने की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

मिलने के 15—20 दिन पश्चात आस—पड़ौस के ग्रामों में मुनादि कराई जाने पर श्री मुराद पुत्र सुवा निवासी सोमलपुर के द्वारा सूचित किये जाने पर जीर्ण—शीर्ण अवस्था में जिल्द प्राप्त की गई। नामान्तरकरण जिल्द गुम हो जाने की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आप द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया जाना एवं इस संबंध में नियमानुसार पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया जाना आपकी घोर लापरवाही को प्रकट करता है।

<u>आरोप संख्या—2</u>

तहसीलदार, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण जिल्द संख्या 58551 से 58600 दिनांक 7—6—2018 एवं जिल्द संख्या 37251 से 37300 दिनांक 20—9—2018 को जारी किया जाना पाया गया। नामान्तरकरण संख्या 237 से 248, 251 व 252 दिनांक 8—1—2018 को 249, 250, 253 से 260, 262 से 271, 273 से 277 व 301 से 308 तक दिनांक 13—11—2018 को तहसील कार्यालय में जमा होना पाया गया इससे स्पष्ट होता है कि तस्दीक शुदा नामान्तरकरण काफी विलम्ब से तहसील कार्यालय में जमा कराये गये जबकि राजस्थान रूल्स 1957 के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 के प्रावधानों के अनुसार तस्दीक शुदा नामान्तरकरण तहसील में जमा कराने एवं सुरक्षित रखे जाने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं गुम होने से बचाने के लिए इन्हें बड़ी सावधानी रखी जाने हेतु हिदायत दी गई है, किन्तु आप द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है जो आपकी राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

<u>आरोप संख्या—3</u>

तहसीलदार, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 261 अनिर्णित है। पटवारी द्वारा दिनांक 12—3—2018 को भरा जाकर आपको प्रस्तुत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर आप द्वारा दो बार टिप्पणी में अंकित की गई है जिसमें दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल राजस्थान के पत्र कमांक राम/भू.अ./जी—3/प—174/99 /10468—99 दिनांक 24—9—1999 में भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण में किये गये इन्द्राजों की तस्दीक तथा तथ्यों का उल्लेख किये जाने बाबत राजस्थान लैण्ड रूल्स 1957 के नियम 121 के उपनियम 2 के बिन्दु संख्या 3 में दिये [illegible]शानुसार भू—अभिलेख निरीक्षक पटवारी द्वारा भरे गये ना[illegible] की गई प्रत्येक प्रविष्टि का अनुप्रमाणन करे[illegible] गई प्रविष्टियों पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। निरीक्षक पटवारी की रिपोर्ट [illegible]त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पटवारी को अग्रेषित करेगा, जो उन्हें यथास्थिति ग्राम पंचायत/तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा। परन्तु आप द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन किया है जो आपकी राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

आप द्वारा नामान्तरकरण जिल्द को स्वयं के पास रखना एवं गुम होकर लगभग 15–20 दिन पश्चात पुनः जीण शीर्ण अवस्था में प्राप्त होने की सूचना विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना आपका जानबूझकर बदनियति पूर्वक किया जाना कृत्य को दर्शाता है। जो कि आपके कार्य के प्रति लापरवाही व उच्चाधिकारी के अवहेलना का द्योतक है जिसके लिए आप जिम्मेदार है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 05–03–2019 को निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको दिनांक 12–04–2019 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक द्वारा अपनी गलती होना स्वीकार किया गया तथा क्षमा हेतु निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी अजमेर, जिला अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अपचारी कार्मिक को भविष्य में अधिक सतर्क रहकर कार्य करने एवं उक्त प्रकार की पुनरावृति नहीं करने की हिदायत देते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। दण्डादेश दिनांक 28–01–2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी भू.अ.निरीक्षक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी पटवारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश दण्डादेश दिनांक 28–01–2020 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 1 के क्रम में कथन किया कि तत्समय ग्राम दौराई नायब तहसीलदार, अजमेर द्वितीय के अधीन था तथा नायब तहसीलदार, अजमेर द्वितीय व अन्य नायब तहसीलदार के पद रिक्त होने से नामान्तरकरण का निस्तारण का कार्य तहसीलदार अजमेर द्वारा निस्तारित किया जाता था। तहसीलदार के पास नायब तहसीलदीारों एवं उपपंजीयक अजमेर का कार्यभार होने से तहसीलदार द्वारा क्षैत्र में दौरा किया जाना संभव नहीं होता था ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण निस्तारण की कार्यवाही तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर करवाई जाती रही थी। नामान्तरकरण निस्तारण की कार्यवाही हेतु समय सीमा निर्धारित की हुई है तथा नामान्तरकरण कार्य को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी शामिल किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हलका दौराई नामान्तरकरण के निस्तारण हेतु नामान्तरकरण जिल्द लेकर तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ था तत्समय तहसीलदार उपलब्ध नहीं होने से पटवारी दौराई ने नामान्तरकरण जिल्द अपीलार्थी के पास छोड दी जिस पर तहसीलदार के तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण निर्णित कराने की कार्यवाही की गई। तत्समय अतिरिक्त निरीक्षक क्षैत्रों का कार्यभार एवं अतिरिक्त आफिस कानूनगों सराधना का कार्यभार होने से अत्यधिक कार्य व्यवस्तता के कारण पटवारी दौराई को नामान्तरकरण जिल्द लेने हेतु बुलाया परन्तु वह अन्य कागजात लेकर चला गया। पटवारी नामान्तरकरण जिल्द अपीलार्थी के पास ही भूल गया। अपीलार्थी के क्षैत्राधीन गांवों में भ्रमण के दौरान नामान्तरकरण जिल्द कहीं गिर गई। क्षैत्राधीन कार्य स्थलों पर नामान्तरकरण जिल्द ढूंढने के प्रयास किये गये जिसमें समय लगना स्वभाविक था। ढूंढने के दौरान अधीनस्थ ग्राम सोमलपुर में उक्त जिल्द जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाई गई। उक्त घटना से व्यक्तिगत रूप से उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को अवगत कराया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। चूंकि नामान्तरकरण की दोनों परते जिल्द में थी अतः जीणशीर्ण पाई गई जिल्द एवं जमाबंदी से सूचना तैयार करने में समय लगना स्वभाविक था। ऐसी स्थिति में वांछित सूचना जमाबंदी एवं अन्य रेकार्ड से तैयार कर रिपोर्ट 17–9–2018 को तहसीलदार को प्रस्तुत कर दी गई थी। आरोप में जहां तक नामान्तरकरण जिल्द खोने की दिनांक एवं समय का उल्लेख नहीं किये जाने तथा पुलिस में प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज नहीं कराने का प्रश्न था उक्त नामान्तरकरण जिल्द अधीनस्थ ग्रामों में भ्रमण के दौरान गिर गई थी जिससे निश्चित स्थल दिनांक एवं समय की स्पष्ट जानकारी तत्समय नहीं थी। तत्समय अपीलार्थी के अधीन ग्रामों में तीन थाना क्षैत्र रामगंज, आदर्शनगर तथा मांगलियावास लगने के कारण उक्त जिल्द किस थाना क्षैत्र में गिरी इसकी जानकारी ना होने से तत्समय किसी एक थाना क्षैत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना संभव नहीं था।

जांच कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा साक्ष्य मांगे जाने पर श्री मुराद पुत्र सुवा चीता (ग्राम प्रतिहारी), फरीद पुत्र फकीर मोहम्मद, मदन पुत्र लाला मेहरात, रूकमा पत्नी मदन मेहरात, मोहम्मद समीरूदीन पुत्र मोहम्मद जमालुदीन निवासीगण सोमलपुर एवं श्री विजय विजयवर्गीय पटवारी के बयान कराये गये तथा नामान्तरकरण जिल्द ढूंढने पर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में मिले जिनकी फोटो भी प्रस्तुत की गई। साक्षि[illegible] नामान्तरकरण जिल्द ढूंढने पर जीर्ण–शीर्ण प्राप्त होने की पु[illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के [illegible]रान आरोप संख्या 2 के क्रम में कथन किया कि राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 में पटवारी को नामान्तरकरणों को व्यवस्थित रूप से रखने एवं उसके

निस्तारण हेतु पाबन्द किया गया है। आरोप पत्र में वर्णित नामान्तरकरणों के दौरान पटवारियों का पदस्थापन पटवार मण्डल दौराई पर रहा है। भ्रमण के दौरान समय समय पर अपीलार्थी द्वारा कार्यरत पटवारियों को निर्णित नामान्तरकरण की प्रति नियमानुसार समय पर उपतहसील कार्यालय सराधना में जमा कराने हेतु हिदायते भी दी जाती रही थी। पटवारी के पास रखे जाने वाले अभिलेख को सुरक्षित रखने एवं निर्धारित समय पर जमा कराने का दायित्व संबंधित पटवारी का है। अतः उक्त आरोप अपीलार्थी पर सिद्ध नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 3 के क्रम में कथन किया कि दिनांक 20–3–2018 को नामान्तरकरण संख्या 261 की जांच की गई है। नामान्तरकरण संख्या 261 से संबंधित भूमि का बेचान मृतक खातेदार रतना की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत होकर जमाबंदी में दर्ज हुए बिना ही श्री रतना के वारिसान द्वासरा विक्रय पत्र निष्पादित के आधार पर पटवारी हलका दौराई द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर लिया गया था जो त्रूटिपूर्ण होने के कारण नामान्तरकरण का विरासत पुनः दर्ज करने की टिप्पणी कर हस्ताक्षर अंकित कर दिये गये थे तथा दिनांक 20–3–2018 को ही अन्य नामान्तरकरणों एवं नामान्तरकरण संख्या 261 की जांच कर नामान्तरकरण जिल्द पटवारी हलका को दे दी गई थी। नामान्तरकरण संख्या 261 की जांच दिनांक 20–3–2018 को ही की गई थी जिसकी पुष्टि दैनिक डायरी के अवलोकन से की जा सकती है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भू–अभिलेख निरीक्षक को तस्दीक शुदा नामान्तरकरणों को निर्धारित समय पर तहसील कार्यालय में जमा कराने का उत्तरदायित्व किस आधार पर निश्चित किया गया है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 में पटवारी को नामान्तरकरणों को व्यवस्थित रूप से रखने एवं निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28–1–2020 में नामान्तरकरण की जिल्द खो जाना तथा 15–20 दिन बाद सूचना देना, खोई गई जिल्द जीर्ण–शीर्ण अवस्था में प्राप्त होना जिल्द तलाशने की प्रक्रिया आदि को सन्देहास्पद बताया गया है। उक्त आदेश में इसे सन्देहास्पद किस आधार पर माना गया है इसका उल्लेख नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 28–1–2020 निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 28–1–2020 निर[illegible] जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर [illegible] आरोप के संबंध में उपखण्ड अधिकारी अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई ज[illegible] उनके द्वारा पत्र क्रमांक 58 दिनांक 4–1–2021 से टिप्पणी प्रेषित कर कथन किया कि अपीलार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही नियमान्तर्गत ही है।

अपीलार्थी के अपील के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपचारी कार्मिक द्वारा ग्राम दौराई की नामान्तरकरण जिल्द जिसमें नामान्तरकरण संख्या 278 से 300 तक दर्ज को रास्ते में कहीं गिर जाने एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में प्राप्त होना अवगत कराया है। आरोपी द्वारा उक्त घटना की सूचना 17–9–2018 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की। उक्त घटना किस दिनांक एवं समय को घटित हुई, का उल्लेख नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होात है कि आरोपी कार्मिक द्वारा कार्यालय में सूचना विलम्ब से प्रस्तुत की गई,। नामान्तरकरण जिल्द गुम हो जाने की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आरोपी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया जाना एवं इस संबंध में नियमानुसार पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया जाना आरोपी कार्मिक की घोर लापरवाही है।

अपील के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में उल्लेख है कि तहसीलदार अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण की जिल्द संख्या 58551 से 58600 दिनांक 7–6–2018 एवं जिल्द संख्या 37251 से 37300 दिनांक 20–9–2018 को जारी किया जाना पाया गया। नामान्तरकरण संख्या 237 से 248, 251 व 252 दिनांक 8–1–2018 को 249, 250, 253 से 260, 262 से 271, 273 से 277 व 301 से 308 तक दिनांक 13–11–2018 को तहसील कार्यालय में जमा होना पाया गया इससे स्पष्ट होता है कि तस्दीक शुदा नामान्तरकरण काफी विलम्ब से तहसील कार्यालय में जमा कराये गये जबकि राजस्थान लैण्ड रूल्स 1957 के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 के प्रावधानों के अनुसार तस्दीक शुदा नामान्तरकरण तहसील में जमा कराने एवं सुरक्षित रखे जाने के लिए आरोपी कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं गुम होने से बचने के लिए इन्हें बड़ी सावधानी रखी जाने हेतु हिदायत दी गई किन्तु आरोपी कार्मिक द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। आरोपी कार्मिक द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं निर्धारित समय पर जमा कराने का दायित्व संबंधित पटवारी का होने का उल्लेख करते हुए सिद्ध नहीं होना प्रकट किया है जबकि प्रकरण में नामान्तरकरण जिल्द स्वयं आरोपी कार्मिक के पास से खोने पर आरोपी कार्मिक स्वयं जिम्मेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील के बिन्दु संख्या 4 में अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 261 पर पुनः टिप्पणी दिनांक 20.8.18 को ही किये जाने का उल्लेख करते हुए भूलवश दिनांक अंकित नहीं किया जाना स्वीकार किया है किन्तु इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 के प्रावधानों के अनुसार तस्दीक शुदा नामान्तरकरण तहसील में जमा कराने एवं सुरक्षित रखे जाने के लिए आरोपी कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे गुम होने से बचने के लिए इन्हें बडी सावधानी रखी जाने हेतु हिदायत दी गई है। चूंकि नामान्तरकरण जिल्द आरोपी कार्मिक के कब्जे में थी यह आरोपी कार्मिक द्वारा स्वीकार किया गया है । आरोपी की लापरवाही प्रकट होने पर ही इनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

अपील के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में कथन किया गाय कि अपीलार्थी को दिनांक 12–4–2019 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपने बचाव में कोई और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिस पर अपचारी कार्मिक द्वारा दिनांक 19–8–2019 को अपने पक्ष में साक्ष्य व गवाह प्रस्तत किये गये। नामान्तरकरण जिल्द का खो जाना तथा 15–20 दिन के बाद सूचना देना खोई हुई जिल्द जीर्णशीर्ण अवस्था में पुनः प्राप्त होना, जिल्द तलाशने की प्रक्रिया आदि सभी सन्देहास्पद है। उक्त नामान्तरकरण जिल्द खोने के फलस्वरूप राजकार्य प्रभावित हुआ है इस प्रकार आरोपी कार्मिक का आरोप सिद्ध होता है। अतः आरोपी कार्मिक को दिया गया दण्ड नियमानुसार उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी पर तीन आरोप आरोपित कर दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया कि अपीलार्थी के क्षेत्राधीन ग्रामों में तीन थाना क्षेत्र रामगंज, आदर्शनगर, मांगलियावास आने के कारण नामान्तरकरण की जिल्द किस थाना क्षेत्र में गिरी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना संभव नहीं था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अन्य व्यक्तियों के बयानों में उल्लेख किया गया है कि नामान्तरकरण की जिल्द जीर्ण–शीर्ण अवस्था में ग्राम सोमलपुर में [illegible] है। साक्षियों द्वारा नामान्तरकरण जिल्द ढूंढने पर जीर्णशीर्ण [illegible] बयानों में की है। इसकी सूचना अपीलार्थी स्वयं द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को तत्समय ही दे दी गई थी। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि पटवारी के पास रखे जाने वाले अभिलेख को सुरक्षित रखने एवं निर्धारित समय पर तहसील में जमा कराने का दायित्व संबधित पटवारी का होता है जो कि स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

सिद्ध है क्योंकि भू.अ.निरीक्षक के पास कई पटवार हलकों का दायित्व होता है जिससे नामान्तरकरण की जिल्द एवं अन्य दस्तावेजात पटवारियों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है। भू.अ.निरीक्षक का दायित्व केवल दस्तावेजों की जांच कर उस पर टिप्पणी करनी होती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दण्डादेश में अपीलार्थी पर नामान्तरकरण संख्या 261 में दिनांक का अंकन नहीं करने का उल्लेख किया गया है जिस बारे में नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने के कारण विरासतन नामान्तरकण पुनः दर्ज करने की टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर कर दिनांक 20–3–2018 को ही की गई थी जो दैनिक डायरी से स्पष्ट प्रतीत होता है। तस्दीक शुदा नामान्तरकरणों को तहसील कार्यालय में निर्धारित समय पर जमा कराने का दायित्व संबंधित पटवारी का होता है ना कि भू.अ.निरीक्षक का। अपीलार्थी पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद प्रतीत होता है। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 147 के उप नियम 2 व 3 में पटवारी को नामान्तरकरणों को व्यवस्थित रूप से रखने एवं उसके निस्तारण हेतु पाबन्द किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा जब नामान्तरकरण की जिल्द जीर्ण–शीर्ण अवस्था में प्राप्त हो गई थी और उसकी सूचना लिखित में अपीलार्थी द्वारा तत्समय दे दी गई है। तो ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा यह निर्देश दिये जान थे कि जीर्ण–शीर्ण नामान्तरकरणों की जिल्द नये सिरे से संधारित करने हेतु कार्यवाही की जावे। जो उनके द्वारा आज दिवस तक नहीं दिये गये है। रिकार्ड पर भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से यह बात स्वयं सिद्ध है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं प्रतिउत्तर का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुँची हूँ कि अपचारी कार्मिक पर आरोप प्रमाणित नहीं होते है। अतः श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 28–1[illegible] प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested

अतएव श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत पारित

दण्डादेश दिनांक 26–6–2020 को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अपास्त किया जाकर अपचारी पटवारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दिया जाना ही पर्याप्त एवं न्यायोचित होगा। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को यह निर्देश दिया जाना न्यायोचित होगा कि वे जीर्ण–शीर्ण नामान्तरकरणों की जिल्द नये सिरे से संधारित करने हेतु आदेश जारी करे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमांक उखप/संस्था/सीसीए 17/2020/02 दिनांक 28–01–2020 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक अजमेर द्वितीय हाल कार्यरत तहसील अरड़का जिला अजमेर को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को भी निर्देशित किया जाता है कि वे जीर्ण–शीर्ण नामान्तरकरणों की जिल्द नये सिरे से संधारित करने हेतु आदेश जारी करे। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावें।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:56 IST
Reason: SelfAttested